संख्याः–136/XXVII(1)/2009

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
गोपेश्वर/ टनकपुर/ रूड़की/ मंगलौर।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून::दिनांकः 18 :फरवरी,2009

विषयः– द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु नगरपालिका परिषदों को धनराशि का संक्रमण (चतुर्थ त्रैमासिक किश्त हेतु)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–47/XXVII(1)/2009 दिनांक 20 जनवरी,2009 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उक्त शासनादेश के संलग्नानुसार समस्त नगर पालिका परिषदों को राज्य की वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी से मार्च) हेतु रू0 67564154 (रू0 छः करोड़ पिचहत्तर लाख चौसठ हजार एक सौ चव्वन मात्र) हेतु अवमुक्त की गई थी। 12वीं वित्त आयोग की संस्तुतियों पर नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 में अवमुक्त धनराशि उपयोगिता प्रमाण–पत्र ना मिलने के कारण उनको देय समनुदेशन से समायोजित किया गया था।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वीं वित्त आयोग की संस्तुतियो के अन्तर्गत निकायों को अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने के कारण रोकी गई धनराशि रू0 12045061 (रू0 बारह लाख पैंतालीस हजार इकसठ मात्र) संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3–अवमुक्त की जा रही धनराशि शासनादेश सं0–47/XXVII(1)/2009 दिनांक 20 जनवरी,2009 में उल्लिखित शर्तों के अधीन ही व्यय की जायेगी।

4–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन –आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय

निकाय–192–नगरपालिका / नगर निकाय–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20– सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(एल0एम0 पन्त)
सचिव

संख्याः– 136(1)/XXVII(1)/2009 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय,उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, चमोली (गोपेश्वर) / चम्पावत / हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाये, देहरादून।
7– मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी, चमोली / चम्पावत / हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
8– विभागीय अधिकारी / वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10–एन0 आई0सी0, सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

17/3/2009
(एल0एम0 पन्त)
सचिव

[illegible]

शासनादेश संख्याः 136 / XXVII (i) / 2009
दिनांक: 18 फरवरी, 2009 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु नगर पालिका परिषदों को चतुर्थ त्रैमास से रोकी गई धनराशि का संक्रमण।

(धनराशि रू0 में)

क0सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर वर्ष 2008–09 हेतु चतुर्थ किश्त हेतु देय [illegible]	अवमुक्त धनराशि	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जारी की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1–नगर पालिका परिषद				
1-	चमोली / गोपेश्वर	5555000	2592465	2962535
2-	टनकपुर	2129000	760966	1368034
3-	रूड़की	8487000	2923160	5563840
4-	मंगलौर	3343000	1192348	2150652
	योग	**19514000**	**7468939**	**12045061**

(रू0 बारह लाख पैंतालीस हजार इकसठ मात्र)

17/2/2009
(एस0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।